

सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनर्निर्माण (Supreme court and Judicial Review)

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131-132 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्निर्माण का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 131 और अनुच्छेद 132 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय संघीय और राज्यों की विधि के सम्बन्ध यदि यह महसूस करता है कि कोई विधि संविधान के किसी अनुच्छेद की अनुपेक्षा कर रही है तो न्यायालय उसे अवैध घोषित कर सकता है।

इस न्यायिक पुनर्निर्माण का अधिकार कब दूसरे शब्दों में न्यायिक पुनर्निर्माण सर्वोच्च न्यायालय को वह शक्ति है जिसे वह विधानमंडल के कानूनों तथा कार्यपालिका के आदेशों को जाँच कर सकता है।

संविधान देश का सर्वोपरि कानून है उस सुरक्षा कला सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख वैधानिक कर्तव्य है। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय को जहाँ जहाँ अवस्था और मौलिक अधिकारों के रक्षण तथा भारतीय संघ के अन्तिम अपील न्यायालय के रूप में बहुत अधिक व्यापक क्षेत्राधिकार प्राप्त है।